

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

एल०पी०ए० संख्या 476 / 2014

में

सी०ए०पी० संख्या—165 / 2019

सुनील कुमार पाण्डेय, उम्र लगभग 33 वर्ष, स्वर्गीय अवध पाण्डेय के पुत्र, गाँव—टुंडी, डाकघर—लोहंडी,
थाना—चौपारन, जिला—हजारीबाग, झारखण्ड के निवासी हैं।याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, परियोजना भवन, डाकघर और थाना—धुर्वा, जिला—रांची
2. पुलिस महानिदेशक, डाकघर और थाना—धुर्वा, जिला—रांची
3. पुलिस उप—महानिरीक्षक, उत्तर छोटानागपुर, डाकघर, थाना और जिला—हजारीबाग
4. उप—पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), डाकघर, थाना और जिला—रांची
5. पुलिस अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—कोडरमा
6. पुलिस अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—गिरिडीह
7. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—हजारीबाग

.....उत्तरदातागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी०एन० पटल

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी०बी० मंगलमूर्ति

अपीलार्थी के लिए : श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्रीमती चंद्र प्रभा, एस०सी०—I

श्री अरबिंद कुमार, एस०सी०—I के ए०सी०

02 / दिनांक: 16 अप्रैल, 2019

मौखिक आदेश

डी०एन० पटेल, न्याया० के अनुसार

1. यह सिविल विविध याचिका एल०पी०ए० सं०-४७६/२०१४ में दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित 15,000/- रुपये का कॉस्ट जमा करने के आदेश का समय बढ़ाने हेतु दायर किया गया है।
2. कॉस्ट जमा करने का समय इस न्यायालय द्वारा पहले हीं बढ़ाया गया था और अब यह आवेदक (मूल अपीलकर्ता) के वकील द्वारा निवेदन किया जाता है कि झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष 15,000/- रु० कॉस्ट जमा की गई है।
3. इस सबमिशन के मद्देनजर, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है और इसका निपटान किया जाता है।

एल०पी०ए० संख्या ४७६/२०१४

यह लेटर्स पेटेंट अपील पहले ही 20 नवंबर, 2018 के आदेश द्वारा निपटाया जा चुका है।

(डी०एन० पटेल, न्याया०)

(बी०बी० मंगलमूर्ति, न्याया०)